REG. NO. - 56904 / 2006

प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन

(भारत सरकार से मान्यता प्राप्त) (नई दिल्ली)

पत्रकार साथियो के हित में काम करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था

पत्र क्रमांक:-GPN/27/2026 02 दिनांक:- 08/09/2026

प्रति,

माननीय मुख्य सचिव महोदय जी,
"छत्तीसगढ़ शासन"

विषय:- जनसंपर्क विभाग/संवाद कार्यालय में पदस्थ **अपर संचालक श्री संजीव तिवारी की** लगभग पांच वर्षों की दीर्घकालीन **पदस्थापना, स्थानांतरण नीति-2025 एवं दिनांक 03 अगस्त 2026 की अधिसूचना** के उल्लंघन, विज्ञापन व टेंडर में अनियमितताओं, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार तथा संपत्ति की जांच।

महोदय,

मैं राहुल कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रधान महासचिव, प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़, आपके समक्ष जनसंपर्क विभाग/संवाद कार्यालय में **पदस्थ अपर संचालक श्री संजीव तिवारी** के संबंध में यह शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूं। संजीव तिवारी विगत लगभग पांच वर्षों से अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं, इतने लंबे समय तक एक ही पद पर कार्य क्षेत्र में पदस्थ रहने की स्थिति में उनकी पदस्थापना शासन की स्थानांतरण नीति, विभागीय आदेशों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप है अथवा नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

1. स्थानांतरण नीति-2025 का संदर्भ- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के संबंध में जारी आदेश का आधिकारिक File No. RULE-3017/2/2025-GAD-6, दिनांक 05 जून 2025 है। संजीव तिवारी की वर्तमान पदस्थापना एवं पिछले पांच वर्षों की पदस्थापना कार्यावधि का परीक्षण उक्त शासन आदेश तथा उसमें निर्धारित प्रावधानों के आधार पर किया जाए।

2. दिनांक 03 अगस्त 2026 की अधिसूचना- दिनांक 03 अगस्त 2026 को जारी संबंधित शासन अधिसूचना/पत्र के आधार पर भी श्री संजीव तिवारी की वर्तमान पदस्थापना की वैधानिकता एवं नियमसम्मत स्थिति की जांच की जाए एवं 3 अगस्त 2026 के उक्त दस्तावेज का पत्र क्रमांक आधिकारिक मूल प्रति से सत्यापन के पश्चात ही दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः संबंधित विभाग से मूल अधिसूचना/पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसके पत्र क्रमांक, दिनांक एवं लागू प्रावधानों का परीक्षण कराया जाए।